खास खबरें

बीडीए कॉलोनी से हीरो बाइक चोरी

नप्र, भोपालः भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र स्थित बीडीए कॉलोनी से रोहित अहिरवार की हीरो मोटरसाइकिल (एमपी-37-जेडएफ-0496) अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए। घटना 8 जुलाई की रात की है। पुलिस ने धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

मछली मार्केट से 15 हजार की बाइक चोरी

पिपलानी थाना क्षेत्र के मछली मार्केट से हरिश्चंद्र पिता धन्नालाल की मोटरसाइकिल (एमपी-04-क्यूएस-5892) चोरी हो गई। करीब 15 हजार रुपये कीमत की बाइक अज्ञात आरोपी ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है।

भगत सिंह मल्टी पार्किंग से बुलेट गायब

गांधीनगर थाना क्षेत्र की शहीद भगत सिंह मल्टी पार्किंग से अमन मिश्रा की 80 हजार रुपये कीमत की बुलेट मोटरसाइकिल (एमपी-17-जेडएच-0819) चोरी हो गई। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस वाहन की तलाश में जुट गई है।

मिनाल गेट के पास ट्रक की टक्कर

अयोध्यानगर थाना क्षेत्र में मिनाल गेट-5 के पास ट्रक (एमपी-04-डब्ल्यूबी-9925) के चालक ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाकर शीला राजपूत को टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ धारा 281 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

बागसेवनियां चौराहे पर कार चालक पर केस

बागसेवनियां थाना क्षेत्र में थाना चौराहे के पास कार (एमपी-04-जेडजी-7556) के चालक ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाकर सौरभ कुमार को टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दी है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिला युवक

गौतमनगर थाना क्षेत्र में नीरज गुप्ता को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पकड़ा गया। आबकारी अधिनियम की धारा 36-बी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

सीढ़ी से गिरने पर मजदूर की मौत

कमलानगर थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय रमेश पिता रामप्रसाद की काम करते समय सीढ़ी से गिरने से गंभीर चोट लग गई। हमीदिया अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

शारदा नगर से महिला लापता

गौतमनगर थाना क्षेत्र के शारदा नगर निवासी अनीष अली ने पत्नी शबाना बी (30) के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार महिला बिना बताए घर से चली गई। गुम इंसान कायम कर तलाश शुरू कर दी गई है।

मकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास

शाहपुरा थाना क्षेत्र के ऋषि नगर में राजकमल श्रीवास्तव के मकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश अंदर घुस गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की जांच शुरू कर दी है।

अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर उड़ान आईएस एकेडमी सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम और जिला प्रशासन ने शुक्रवार को इन्द्रपुरी क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी का संयुक्त निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा संबंधी नोटिस का जवाब नहीं देने और आवश्यक प्रबंध नहीं मिलने पर उड़ान आईएस एकेडमी को सील कर दिया गया।

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर चलाए गए अभियान में अधिकारियों ने विभिन्न संस्थानों में फायर सेफ्टी मानकों का पालन, आपातकालीन निकास और पूर्व में जारी नोटिसों के अनुपालन की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एलसीएम लाइब्रेरी के संचालक द्वारा निर्धारित समय में फायर प्लान और नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर दिया गया, जिसके बाद संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई।

संयुक्त दल ने अनिल गुप्ता कोचिंग क्लासेस का भी निरीक्षण किया। यहां आवश्यक फायर एग्जिट उपलब्ध मिला, जबकि संचालक ने नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय मांगा। प्रशासन ने उन्हें एक दिन की मोहलत प्रदान की। वहीं, एब्सोल्यूट इंग्लिश इंस्टीट्यूट के निरीक्षण के दौरान संचालक ने बताया कि भवन स्वामी की ओर से नोटिस का जवाब पहले ही जमा किया जा चुका है। जांच में यह जानकारी सही पाई गई। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि शहर के सभी शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटरों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बीस से विधानसभा सत्रः भोपाल रहेगा हाई अलर्ट, धारा-163 लागू

- पांच से अधिक लोगों के जुटने, धरना-प्रदर्शन और रैली पर रोक
- विधानसभा के पांच किमी दायरे में भारी वाहनों की नो-एंट्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा और उससे लगे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन, रैली, पुतला दहन और आम सभा आयोजित करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, भाला, चाकू, पत्थर, आग्नेयास्त्र अथवा अन्य धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर चलने की अनुमति नहीं होगी।

विधानसभा परिसर से पांच किलोमीटर की परिधि में ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित भारी और धीमी गति वाले वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि यातायात बाधित न हो और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।

प्रतिबंध रोशनपुरा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, नवीन विधानसभा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, 74 बंगला, पत्रकार भवन, वल्लभ भवन, विंध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन, अरेरा एक्सचेंज, ओम नगर, जहांगीराबाद, एमपी नगर तथा विधानसभा से जुड़े प्रमुख मार्गों पर लागू रहेगा। हालांकि विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा को इस आदेश से छूट दी गई है। ड्यूटी पर तैनात शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दस्तावेज अपलोड और सत्यापन प्रक्रिया शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) नियोजन-2026 के लिए चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज अपलोड और सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित वर्ष 2025 की चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियोजन संबंधी विस्तृत समय-सारणी जारी की है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को 18 से 20 जुलाई तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने तथा जिला विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद 19 से 21 जुलाई तक संबंधित जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। विभाग ने सभी अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल पर उपलब्ध सभी जिलों को प्राथमिकता क्रम में भरना अनिवार्य किया है। संचालनालय ने निर्देश दिए हैं कि दस्तावेज अपलोड करने के अगले दिन अभ्यर्थियों को स्वयं निर्धारित दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रोफाइल पंजीयन, दस्तावेज अपलोड, जिला चयन और पोर्टल शुल्क जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे नियोजन प्रक्रिया से जुड़ी सभी अद्यतन सूचनाओं और दिशा-निर्देशों के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करते रहें, ताकि किसी भी चरण में निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन न हो।

लाल परेड ग्राउंड पर होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को सुबह 9 बजे लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। समारोह की तैयारियों को लेकर संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने शुक्रवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। संभाग आयुक्त ने सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई, पेयजल, बैठक व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सभी तैयारियां समय पर और बेहतर ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने वाले स्कूली बच्चों, परेड में भाग लेने वाले पुलिस बल तथा अन्य प्रतिभागियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विशिष्ट अतिथियों के सम्मानजनक स्वागत एवं बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मानसून को देखते हुए अधिकारियों को बारिश की स्थिति में भी समारोह निर्बाध रूप से आयोजित करने के लिए वॉटरप्रूफ टेंट, अतिरिक्त शेड, जल निकासी और मैदान में कीचड़ से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने को कहा गया।

विद्युत पेंशनर्स संघ ने रखीं मांगें, जल्द समाधान का मिला आश्वासन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ के प्रांतीय एवं जिला कार्यकारिणी के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक ऋषि गर्ग की अनुपस्थिति में मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) राजेश शर्मा से विभिन्न मांगों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने संघ के लिए कार्यालय भवन उपलब्ध कराने, आवंटित समाज कल्याण केंद्र में 200 कुर्सियों की व्यवस्था, कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाने तथा कार्यभारित पद पर नियुक्ति की तिथि से उच्च वेतनमान का लाभ देने की मांग उठाई। मुख्य महाप्रबंधक राजेश शर्मा ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष आशुतोष अवस्थी, जिला अध्यक्ष बी.आर. मानकर और जिला कोषाध्यक्ष एम.एल. सोनी शामिल थे। इस संबंध में प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया।

नीट यूजी 2026: आकाश भोपाल के छात्रों ने लहराया परचम

आर्यमन बने प्रदेश टॉपर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के भोपाल केंद्र के विद्यार्थियों ने नीट यूजी 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है।

आर्यमन सोलंकी ने ऑल इंडिया रैंक 46 हासिल कर मध्यप्रदेश टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं अरुणिमा प्रियंबदा दास ने ऑल इंडिया रैंक 1058, दक्षिता केसरवानी ने 2382 और देव चौधरी ने 2727वीं रैंक हासिल की। कंपनी के अनुसार इस वर्ष देशभर में आकाश के 4 विद्यार्थियों ने टॉप-10, 18 ने टॉप-50 और 41 ने टॉप-100 में स्थान बनाया है। संस्थान ने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासित तैयारी, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन, नियमित मॉक टेस्ट, व्यक्तिगत मेंटरिंग और वैज्ञानिक अध्ययन सामग्री को दिया है। एईएसएल के मुख्य शैक्षणिक एवं व्यवसाय प्रमुख डॉ. एच.आर. राव ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी लगन और निरंतर प्रयास ने यह उपलब्धि दिलाई है तथा संस्थान भविष्य में भी श्रेष्ठ चिकित्सक तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्राचीन झूलेलाल मंदिर में चालीहा का उत्सव

झूलेलाल चालीहा एक धार्मिक अनुष्ठान है : चांदवानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः प्राचीन श्री झूलेलाल मंदिर, संतनगर में चालीहा महोत्सव मनाया जा रहा है। चालीहा महोत्सव का शुभारंभ पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष माधू चांदवानी ने ज्योत प्रज्जवलित कर की, धार्मिक भजनों का कार्यक्रम हुआ व अखा डाला गया।

इस अवसर पर चांदवानी ने बताया कि झूलेलाल चालीहा महोत्सव सिंधी समुदाय का 40 दिनों का एक महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है जो भगवान झूलेलाल की आराधना को समर्पित है। यह व्रत हर साल जुलाई.अगस्त के महीनों में मनाया जाता है जिसमें श्रद्धालु जल देवता की पूजा कर सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से प्राचीन काल में सिंध प्रांत (पाकिस्तान) के एक क्रूर शासक मीरखशाह के अत्याचारों से हिंदुओं की रक्षा करने वाले भगवान झूलेलाल की आराधना सिंधु नदी के किनारे 40 दिवस का उपवास रखा गया है। भगवान झूलेलाल को दरियालाल या जल देवता माना जाता है। इसलिए इन 40 दिनों तक नदियों या तालाबों के किनारे विशेष पूजा.अर्चना और भजन.कीर्तन किए जाते है। इस अवसर पर भगवान झूलेलाल के भजन पेश किए गए व जयकारे लगाए गए। इस अवसर पर मंदिर सेवादारी अशोक मोतियानी, परसराम थावानी, भारती चांदवानी, मोना मोतियानी, सीमा रामनानी, वासु मोतियानी, ठाकुर लालवानी, नरेश शिवानी, विनोद कृपलानी, कन्हैयालाल, बबलू टेकचंदानी, हरीश मूलचंदानी सहित सैकडो धर्मप्रेमी बंधु उपस्थित थे। अंत में हथप्रसादी वितरण किया गया। मंदिर सेवादारी अशोक मोतियानी ने बताया कि चालीहा साहिब के दौरान प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे साय 7 बजे भगवान झूलेलाल जी की आरती की जाती है।

पैसों के विवाद में मारपीट और तोड़फोड़

नप्र, भोपालः अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र में लखन पाल ने बसंत नेपाली एवं उसके दो साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि आरोपियों ने पैसों के विवाद में गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी और तोड़फोड़ की। पुलिस जांच कर रही है।

नोट गिराने का झांसा देकर बैग चोरी

गौतमनगर थाना क्षेत्र में मुस्कान आसूदानी के साथ ठगी की वारदात हुई। अज्ञात आरोपी ने नोट गिराने का झांसा देकर उनका बैग चोरी कर लिया। बैग में तीन हजार रुपये नकद सहित अन्य सामान रखा था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

महिला से मारपीट और धमकी

छोलामंदिर थाना क्षेत्र के ग्राम खेजड़ा में जया लोधी ने नारायण सिंह लोधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

महिला से छेड़छाड़, आरोपी पर केस

छोलामंदिर थाना क्षेत्र के मालीखेड़ी में हीतेश्वरी ठाकरे ने खिलान सिंह राजपूत के खिलाफ छेड़छाड़, गाली-गलौज और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई, शहर के कई इलाकों से हटाए अवैध कब्जे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए शासकीय भूमि और सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों से टपरे, चाय-नाश्ते की दुकानें, ठेले, गुमठियां, पान पार्लर, काउंटर, बोर्ड, टेबल-कुर्सियां और अन्य अवैध अतिक्रमण हटाए गए। निगम ने चार ठेले, एक पान पार्लर और लोहे के पाइप समेत अन्य सामग्री भी जब्त की।

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कटारा, कोलार, नेहरू नगर, जवाहर चौक, लिंक रोड, शास्त्री नगर, वल्लभ नगर, शाहपुरा, एमपी नगर, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जहांगीराबाद, टीला जमालपुरा, करोंद हाउसिंग बोर्ड सहित अनेक क्षेत्रों में कार्रवाई की। अभियान के दौरान कटारा भगवती नगर में एक अवैध टपरा, बावड़िया गांव के पास नाले पर बनी आठ टीनशेड दुकानें और एक अस्थायी कमरा तोड़ा गया। शास्त्री नगर में सीवेज चैंबर पर बना पक्का फर्श हटाया गया, जबकि निगम मुख्यालय के सामने से चार चाय-नाश्ते की दुकानें और बावड़िया चौराहे से दो आइसक्रीम गाड़ियां तथा तीन लोडिंग वाहन हटाए गए। अभियान के दौरान फुटपाथों और सड़कों पर लगाए गए सब्जी विक्रेताओं तथा दुकानों के बाहर रखे सामान को भी हटाकर यातायात सुचारु करने का प्रयास किया गया।

साईं बाबा नगर में 14 लाख की लागत से सड़क व नाली निर्माण शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः महापौर श्रीमती मालती राय ने शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 49 के साईं बाबा नगर में सीमेंट कंक्रीट सड़क और नाली निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

करीब 14 लाख रुपये की लागत से होने वाले इस विकास कार्य से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और जल निकासी व्यवस्था भी बेहतर बनेगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, जोन अध्यक्ष बाबूलाल यादव, पार्षद अरविंद वर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे।

महापौर ने कहा कि शहर के विभिन्न वार्डों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, भोपाल लिंक रोड न.-2 माता मंदिर चौराहा के समीप, हर्षवर्धन नगर के सामने, भोपाल

Tel.:-(0755) 2924467; e-mail:-eephbpl@mp.nic.in

क्र.- 1527/ तक./का.य./ लो.स्वा.या. खंड/भोपाल/2026-27 दिनांक-14/07/2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदारो से मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना जारी होने के दिनांक तक समस्त संशोधनो सहित ई टेंडरिंग पद्धति द्वारा आनलाईन निविदाओं में निहित शर्तों के अनुरूप आमंत्रित की जाती है। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं कार्यों का विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in/nicgep/app पर देखी जा सकती है। वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी समस्याओं हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

सिस्टम जनरेट आई डी क्रं.	खण्ड	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र की राशि रू.	ठेके के अनु. राशि रू.	अमानत राशि रू.	निविदा आनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि	1. कार्य पूर्ण करने की अवधि 2. ठेकेदार की श्रेणी 3. आमंत्रण क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
2026_PHED_521410_1	भोपाल	Hiring of Car/Equivalent (Taxi) cost up to 6.50 lac for handpumps water supply schemes and other govt. works under As Executive Engineer, Office Of The Chief Engineer PHED ZONE Bhopal as inspection vehicle for the 01 year.	2000.00	272564/-	5451.00	29.07. 2026	(1) 12 माह (वर्षाकाल सहित (2)लोक निर्माण विभाग में केन्द्री-कृत पद्धति से पंजीयन शिथिल किया गया है। (3) प्रथम आमंत्रण

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाईट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
कार्यपालन यंत्री लो. स्वा. या. खण्ड भोपाल

जी-15823/26 कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.यां.,खण्ड, भोपाल

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार Manappuram Finance Ltd., शाखा कार्यालय-प्रथम तल, बघेल कॉम्पलेक्स, केनरा बैंक के पास, मुखर्जी नगर, रायसेन-464551 (म.प्र.) द्वारा श्रीमती ममता भास्कर राव शेठे पत्नी स्व. श्री भास्कर राव शेठे की सम्पत्ति मकान/प्लाट नं.एम-19 डी, जिसका प्लाट क्षेत्रफल 525 वर्गफिट है तथा जो कि ग्राम दामखेड़ा, पटवारी हल्का नं.39, राजस्व निरीक्षक मण्डल-4, विकास खण्ड फन्दा, तहसील कोलार,जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं, पूर्व में-शैलेश जैन का प्लाट, पश्चिम में-खुली जगह, उत्तर में-कनक अपार्टमेण्ट, दक्षिण में-रोड है, जो श्रीमती ममता भास्कर राव शेठे एवं संयुक्त स्वामी श्री भास्कर राव शेठे में से श्री भास्कर राव शेठे जी मृत्यु के पश्चात्, श्री भास्कर राव शेठे जी का हिस्सा भी उन्हें अति. तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल के प्रकरण क्र. 5324/अ-6/2024-25, आदेश दिनांक 02.09.2025 के जरिये नामांतरण द्वारा प्राप्त हुआ है, को बंधक करके ऋण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है । यदि उक्त सम्पत्ति को बंधक करने में सर्वसाधारण, किसी शासकीय, अशासकीय, किसी बैंक या वित्तीय संस्था आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या किसी प्रकार का कोई लेना-देना निकलता हो, उनके पक्ष में ऊपरवर्णित सम्पत्ति विक्रय, बंधक, सम्यक् बंधक, दान या किसी प्रकार से हस्तांतरण आदि की गयी हो या उससे संबंधित विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन हो तो वह इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 07 (सात) दिन के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति मय दस्तावेज के मेरे निम्न लिखित पते पर प्रस्तुत कर दें, समयावधि में कोई आपत्ति नहीं आने पर मेरे पक्षकार उक्त सम्पत्ति को बंधक करके उक्त ऋण सुविधा प्रदान कर देंगे तथा भविष्य में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी एडवोकेट
फ्लैट नं.सी-106, प्रथम तल, चन्दन ब्लाक, चिनार रिट्रीट, जीवन मोटर्स के पीछे, अरेरा हिल्स, भोपाल
मो.-9827223510, 7987467025

983

सार्वजनिक सूचना

खसरा क्रमांक 47 एस रकबा 0.669 एकड़ में से 0.321 एकड़ ग्राम नेवरी जिला भोपाल के सम्बन्ध में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्रीमति अंजली सहगल व श्री अनिल कुमार सहगल के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 47 (S) रकबा 0.669 एकड में से 0.321 एकड ग्राम नेवरी तहसील हुजूर जिला भोपाल के सम्बन्ध में अजय पाण्डेय आ. श्री बसंत कुमार पाण्डेय निवासी एस.पी. 19 लेकपर्ल स्प्रिंग, अब्बास नगर, आशाराम तिराहा भोपाल के विरुद्ध मान. व्यवहार 13 वे न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल पदासीन अधिकारी सुश्री पलकराय के द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक आर.सी.एस 0286ए/2026 में पारित आदेश दिनांक 14/07/2026 के अधीन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अजय पाण्डेय या उसके किसी प्रतिनिधि को खसरा क्रमांक 47 (S) रकबा 0.669 एकड मे से 0.321 एकड गाम नेवरी तहसील हुजूर जिला भोपाल को भू माफियाओ की सहायता से बालाबाला हस्तान्तरण करने या तृतीय पक्ष का हित सृजित करने से रोक दिया गया है। इस कारण सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अजय पाण्डेय या उसके किसी भी प्रतिनिधि से कोई संव्यवहार विक्रय अनुबन्ध या विक्रय पत्र या बंधक या हस्तान्तरण या तृतीय पक्ष का हित सृजित करने का प्रयास खसरा क्रमांक 47 (एस) रकबा 0.669 एकड मे से 0.321 एकड गाम नेवरी तहसील हुजूर जिला भोपाल के सम्बध मे नही किया जावे अन्यथा न्यायालीन अवमानना के अधीन दाण्डिक अपराध के दोषी माने जावेगे तथा इस प्रकार का संव्यवहार पूरी तरह से निरंक व शून्य माना जावेगा ।

भवदीय रमेश शर्मा एडवोकेट
पता : एल.जी.एफ.6, मेट्रो प्लाजा, भोपाल मो.9425079926

982